

26/7/21

BL

पतावामी आज पेश हुई। अधिकारी एवं पेशी
सरकार उपस्थित।


पतावामी का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र
जवाब-दवा एवं वादग्रस्त आराजी के मू. अ. के
अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मू.
प्रबन्ध ग्राम-निगम की जवाबदारी में खाला संख्या
01 सिवापचक्र खास सरकार दर्ज है। वादी द्वारा
वाद-पत्र में अर्ज किया है कि वाद-ग्रस्त आराजी
राजस्व रिकॉर्ड में 2012 से 2031 में खसरा संख्या
1129/01 संख्या 497 बीघा (2 बिस्वा बिस्म बाराही
दोपम दर्ज थी। जिससे गलती से वाद गै. मु. गौचर
दर्ज कर दिया गया, जो गैरकासूनी है। अतः
उक्त भ्रष्टपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए
वाद-ग्रस्त आराजी की बिस्म गै. मु. गौचर के
स्थान पर बाराही दोपम दर्ज की जावे तथा
ग्राम पंचायत निगम द्वारा दिनांक 11/07/1970
को जारी अस्त भूमि में से 10-3 बीघा भूमि
पर पट्टे के आधार पर प्रतिवादीगण जो कि
मूधारक तहसीलदार एवं जिला कमिश्नर पाली
को पाबन्द किया जावे।



वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि आरम्भ
में सिवापचक्र बाराही दोपम एवं वर्तमान में सिवापचक्र

26/7/21

गैर मुद्रा गौचर है, के सम्बन्ध में धारा 80, 100
 RT Act 1955 तथा धारा- 136 LR Act 1958
 के अन्तर्गत जवाब प्रस्तुत किया। यदि वादग्रस्त
 आराजी सार्वजनिक भूमि है तथा ऐसी भूमि को
 के सम्बन्ध में ग्राह पंचायत को किसी प्रकार
 का आवासीय पट्टा जारी करने/ विस्तार करने
 का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तथा
 ऐसे दस्तावेजात आरम्भतः शून्य होते हैं।
 अतः ऐसे दस्तावेजात का कोई मूल्य नहीं है।
 वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक विवाचक भूमि
 है। जिसका जारी द्वारा वाद-पत्र में भी
 उल्लेख है, की क्लिफ सुई या अन्य अभिलेख
 की सुई के लिए जारी भी किसी व्यक्तिगत
 दस्तावेज से दावा नहीं कर सकते। क्योंकि
 इसमें जगहों निर्दिष्ट होना है न कि
 व्यक्तिगत है। वादीगण द्वारा वादपत्र
 में उल्लेख में वाद-पत्र प्रस्तुत करने का
 कोई उल्लेख नहीं है। न ही वाद-पत्र के साथ
 धारा 32 CPC के अन्तर्गत कोई प्राथमिक पत्र
 प्रस्तुत किया। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी-
 गण द्वारा वादग्रस्त आराजी की किसी परिवर्तन
 हेतु इस्तदुआ की है। लेकिन यह अनुलोप
 प्रदान करने एवं सम्बन्ध में विचारण करने
 के लिए केवल राज सरकार सहाय है। यह
 सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा का क्षेत्राधिकार
 व क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वाद-पत्र इसी
 स्तर पर न्यायालय द्वारा के क्षेत्राधिकार व
 क्षेत्राधिकार के नहीं होने, वादीगण का कोई
 वाद आधिकार नहीं होने वाद-पत्र के साथ
 प्रतिनिधित्व वाद-पत्र प्रस्तुत करने बावत कोई
 प्राथमिक-पत्र नहीं होने से वाद-पत्र विचारण
 योग्य एवं पोषणीय योग्य नहीं होने, साथ ही
 वादीगण खानेकार नहीं होने के बावजूद राज
 सरकार के विस्तार द्वारा 188 के अन्तर्गत
 ग्राह निषेधाज्ञा का अनुलोप योजन तथा धारा
 188 RT Act के अन्तर्गत वाद-पत्र करने के



हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

लिए खसरेदार होना विधिक अनिवार्य होने तथा
जिसके पल्लवरूप वाद-पत्र RT Act की धारा
180 से बाधित होने से वाद-पत्र आडिगम्ब-07
नियम 11 D के अन्तर्गत निधि बाधित होने से
खारिज घोषित होने के कारण वाद वादी खारिज
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक
निर्णित होकर संख्या से एक नमूना होकर
याचिका दफ्तर है।

D.K.O.